v/;k; - IV

byDVªkfudh rFkk lwpuk izkS|ksfxdh foHkkx

4.1 LVS.MjMkbts'ku VsfLVax ,oa DokfyVh lfVZfQdsV MkbjsDVjsV (,l Vh D;w lh) }kjk Hkou fuekZ.k ifj;kstuk ds fy, vuqi;qDr ,tsalh dk p;u

,l Vh D;w lh us mudh VsDuksa dkef'k;y l{kerk dks ij[ks fcuk Hkou fuekZ.k dk dk;Z lkQVos;j VsDuksykWth ikdZl vkQ bafM;k (,l Vh ih vkbZ) dks nsus dk fu.kZ; fy;kA ,l Vh ih vkbZ ds ikl dksbZ flfoy bathfu;fjax foax ugha Fkh vkSj vius BsdsnkjksJ ,oa okLrqdkj dks Bhd ls lEHkky u lds vkSj dk;Z dks iwjk fd;s fcuk gh NksM fn;kA blls tu 2016 dh fLFkfr ds vuqlkj ,l Vh D;w lh dks Hkwfe vkoaVu ds 14 o"kZ ds mijkUr Hkh fuekZ.k dk dk;Z iwjk ugha gqvkA blds ;g Hkh ifj.kke gqvk fd ifj;kstuk ij ₹ 9.33 djksM+ dk fu"Qy O;; gqvk ,oa ,l Vh ih vkbZ ds ikl ₹ 3.47 djksM+ dk vojks/ku gqvkA

जैसा कि जी एफ आर का नियम 126 (2)[1] परिभाषित है, जी एफ आर के नियम 126 (4) के अनुसार ₹ 10 लाख से ऊपर अनुमानित मूल्य के सभी मूल कार्य शहरी विकास मंत्रालय से सलाह के उपरान्त लोक निर्माण संगठन के द्वारा करवाये जाने चाहिए।

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) जो कि इलैक्ट्रानिक एवम् सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से संलग्न विभाग है, को वर्ष 2002 में नोयडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-62 नोयडा में सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक टेस्ट इंजीनियरिंग (सी ई टी ई) जो कि दक्षता आधारित प्रशिक्षण हेतु एस टी क्यू सी का विशेष संस्थान है, के स्थायी भवन निर्माण हेतु 5,350 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन निशुल्क किया गया था।

एस टी क्यू सी के लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित घटना-क्रम देखा गया:

- नवम्बर 2003 में एस टी क्यू सी ने सी पी डब्ल्यू डी को भवन निर्माण परियोजना एवम् भवन रूपरेखा के आरम्भ करने हेतु नियुक्त किया। आगे यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को सी पी डब्लू डी से नहीं कराया जायेगा क्योंकि सी पी डब्लू डी की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी।
- इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण परियोजना को तीन प्रतिशत विभागीय शुल्क सहित कुल ₹ 3.47 करोड़ की लागत के साथ बी एस एन एल (फरवरी 2005) को दे दिया जाये।
- मार्च 2005 में, एस टी क्यू सी ने एक अतिरिक्त क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया जिसके लिए डिजाइन और निर्माण प्रस्ताव को दुबारा तैयार किया जाना था। इस स्तर पर यह निश्चय किया गया कि यह कार्य साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्कस् आफ इण्डिया (एस टी पी आई) जो डी ई आई टी वाई की स्वायत्त संस्था है, इस तर्क के आधार पर कि एस टी पी आई के पास आई टी सम्बन्धी गतिविधियों के आधारभूत ढांचा विकास का विस्तृत अनुभव था,

[1] जी एफ आर के नियम 126 (2) यह वर्णन करता है "एक लोकनिर्माण संगठन में राज्य लोक निर्माण प्रभाग, अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन शामिल हैं जो सिविल या इलेक्ट्रीकल कार्यों को करने के लिए अधिकृत हैं जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्लू डी), सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम ई एस), सीमा सड़क संगठन आदि या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित सिविल या इलेक्ट्रिकल कार्य को सम्पन्न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ।

को सौंपा जाये। अभिलेख में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं था कि बी एस एन एल के स्थान पर एस टी पी आई को क्यों चुना गया। 15 अप्रैल 2005 को निर्माण कार्य एस टी पी आई को सौंपा गया।

- पुनः अगस्त 2005 में एस टी क्यू सी ने प्रस्तावित भवन में अतिरिक्त गतिविधियों को जगह देने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता महसूस की। ₹ 14.97 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्मित क्षेत्र 10,310 वर्गमीटर पुनरीक्षित किया गया जिसमें परियोजना लागत का एक प्रतिशत एस टी पी आई को सर्विस चार्ज के साथ दो वर्षो में पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी। दिसम्बर 2005 में एस टी क्यू सी ने एस टी पी आई को एस टी क्यू सी भवन निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से सौंप दिया।
- भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एस टी पी आई ने अगस्त 2005 में मानचित्र तैयार करने के लिए एक वास्तुकार (मैसर्स डी के एसोसियेट्स) को किराये पर लिया। उक्त परियोजना हेतु फरवरी 2006 में ठेकेदार के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी और जून 2006 में परियोजना हेतु ठेकेदार (मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स इंडिया) को 12 महीनें की अवधि में परियोजना पूर्ण करने के लिए अनुबन्धित किया गया। यह देखा गया कि निर्धारित अवधि अर्थात जुलाई 2007 तक परियोजना पूर्ण न हो सकी। अगस्त 2009 तक और फिर दिसम्बर 2009 तक अवधि पुनः बढ़ायी गयी।
- इसी मध्य, एस टी पी आई के साथ भुगतान सम्बन्धी कारणों से ठेकेदार द्वारा साईट पर कार्य बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् दिसम्बर 2009 में एस टी पी आई ने कार्य जारी रखने में अपनी असमर्थता दिखाई। ठेका एवम् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में एस टी पी आई, ठेकेदार एवम् वास्तुकार के मध्य मतभेद थे। नवम्बर 2010 में एस टी पी आई ने कई बार समयावधि बढ़ानें के बावजूद कार्य न करने से ठेकेदार द्वारा किये गये निम्न स्तर के कार्य निष्पादन को देखते हुए परफार्मेन्स बैक गारन्टी को भुना लिया। ठेकेदार ने विवाचना (आर्बिट्रेशन) के प्रावधान के लिए आवाहन किया और डी ई आई टी वाई के सचिव को विवाचक के नामांकन हेतु अनुरोध किया। जनवरी 2012 में विवाचक की नियुक्ति हुयी और विवाचना प्रक्रिया अभी भी जारी है। वास्तुकार सम्बन्धी विवाद के विषय में एस टी पी आई ने वास्तुकार काउंसिल के समक्ष मुद्दा उठाया।
- मुद्दे के निपटान के लिए डी ई आई टी वाई सचिव ने 13 अप्रैल 2012 को अर्थात् परफार्मेन्स बैंक गारन्टी भुनाने के एक वर्ष चार माह देरी के पश्चात एक बैठक बुलायी। एस टी पी आई ने 19 मार्च 2014 को एस टी क्यू सी को "जहां है जैसा है" आधार पर भवन का भौतिक स्वामित्व सौंपा। ₹ 14.97 करोड़ की स्वीकृत राशि में से ₹ 13.80 करोड़ की राशि परियोजना हेतु एस टी पी आई को हस्तान्तरित की गयी जिसमें से ₹ 9.33 करोड़ खर्च किये जा चुके थे।

एस टी पी आई से भवन का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने के पश्चात, एस टी क्यू सी ने वर्ष 2014 में भवन निर्माण कार्य लेने एवम् शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित लागत आकलन हेतु सी पी डब्लू डी से सम्पर्क किया। हालांकि, सी पी डब्लू डी ने एक स्वायत्त संगठन द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु जोर दिया, जिसके बगैर वे भवन निर्माण परियोजना हाथ में लेने में झिझक रहे थे, क्योंकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सी टी ई की कुछ टिप्पणी थी। अगस्त 2015 में संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र परीक्षण पूर्ण हो गया।

उपरोक्त पर लेखापरीक्षा ने पाया कि एस टी पी आई के पास सिविल इंजीनियरिंग विंग न होने के बावजूद, मंत्रालय के साथ साथ एस टी क्यू सी ने एस टी पी आई को उनके प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन किये बगैर भवन निर्माण कार्य सौंपने का निर्णय लिया। यह जी एफ आर के नियम 126 (4) के प्रावधानों का उल्लंघन था। यहां तक कि, एस टी पी आई को कार्य सौंपे जाने से पूर्व एस टी क्यू सी एवम् एस टी पी आई के मध्य कोई समझौता ज्ञापन या संधि हस्ताक्षर नहीं की गयी। सात वर्षों के विलम्ब के बावजूद एस टी क्यू सी भवन परियोजना लम्बित (नवम्बर 2015) थी।

मुद्दा उठाये जाने पर महानिदेशक, एस टी क्यू सी ने टिप्पणी स्वीकार करते हुये उल्लेख किया (जून 2016) कि एस टी पी आई के पास आई टी सम्बन्धी गतिविधियों का आधारभूत ढांचा विकास का बृहद अनुभव होने के कारण स्थायी वित्त समिति के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित अनुसरण एवम् 2005 में माननीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के उपरान्त परियोजना एस टी पी आई को सौंपी गयी। यह भी उल्लेख किया गया कि पर्याप्त परियोजना क्रिया प्रणाली को लागू किया गया और भवन के निर्माण में विलम्ब एस टी क्यू सी के कार्यक्षेत्र के बाहर था।

मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग विंग/इकाई की अनुपस्थिति में एस टी पी आई के पास निर्माण परियोजना हाथ में लेने के लिए न ही कोई विशेषज्ञता थी, न ही अधिदेश। अपने एवम् ठेकेदार के मध्य मुद्दों को सुलझाने में असफल रहने के बाद एस टी पी आई ने दिसम्बर 2009 में कार्य जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की जो कि कार्य के प्रति दायित्व का निर्वहन न करने के समान था एवम् व्यावसायिक रूझान में उनकी कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार एस टी क्यू सी भवन निर्माण कार्य के लिए अनुपयुक्त एजेन्सी (एस टी पी आई) का चयन से, जो न ही अपने ठेकेदार और न ही वास्तुकार को उचित तरीके से संभाल पायी और कार्य परित्यक्त कर दिया, एस टी क्यू सी भवन निर्माण परियोजना में अत्यधिक विलम्ब हुआ जिसके कारण ₹ 9.33 करोड़ का निष्फल व्यय एवम् ₹ 3.47 करोड़ अवरूद्व हुआ क्योंकि एस टी क्यू सी को 2002 में आवंटित भूमि के 14 वर्ष पश्चात भी परियोजना अभी अधूरी है।

4.2 u'kuy bLVhV;wV vkQ LekVZ xouZesUV, gSnjkckn ls bZ&Hkkjr ifj;kstuk ds fy, vi;kZIr vuqnku vkSj mlls ijs C;kt dh xSj&olwyh

Mh bZ vkbZ Vh okbZ us u'kuy bLVhV;wV vkQ LekVZ xouZesUV (,u vkbZ ,l th) dks bZ&Hkkjr ifj;kstuk rS;kjh lqfo/kk ds fØ;kUo;u ds fy, ₹ **10.50** djksM+ dk vfxze fn;kA ,u vkbZ ,l th ds ifj;kstuk dk fØ;kUor djus esa vlQy jgus ij Mh bZ vkbZ Vh okbZ us fo'o cSad ls lgk;rk izkIr ,d vU; ifj;kstuk “bf.M;k bZ&fMyhojh vkQ ifCyd lfoZlsl” tks fd iqu% ,u vkbZ ,l th }kjk fØ;kUor dh tkuh Fkh, ds fy, ₹ **3.36** djksM+ dh jkf'k foifFkr dh vkSj vi;kZIr vuqnku dh ₹ **0.78** djksM+ dh jkf'k ,u vkbZ ,l th ds ikl NksM+ nh, ₹ **6.36** djksM+ ,u vkbZ ,l th }kjk Mh bZ vkbZ Vh okbZ dks okil fd;s x;sA Mh bZ vkbZ Vh }kjk vi;kZIr vuqnku ij fnukad **31** tuojh **2016** rd ₹ **7.77** djksM+ C;kt dh jkf'k Hkh ,u vkbZ ,l th ls olwy ugha dh x;hA

भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्यक्रम (एन ई जी पी) को देश भर में तेजी से लागू करने के लिये, सितम्बर 2008 में इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) जो पहले सूचना प्रौद्योगिकी (डी आई टी) विभाग था, ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंन्ट (एन आई एस जी), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, “ई-भारत परियोजना तैयारी सुविधा” परियोजना के निष्पादन के लिये ₹ 10.50 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन

अक्तूबर 2008 में दिया गया तथा डी ई आई टी वाई द्वारा एन आई एस जी हैदराबाद को बाह्य सहायतायुक्त परियोजनाओं के अधीन ई-गवर्नेन्स मद से सहायता अनुदान के रूप में सारी राशि देने हेतु संस्वीकृति दिसम्बर 2008 में जारी की गई थी। परियोजना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी थी तथा पक्षकारों द्वारा जैसा आपसी सहमति हो, उस अवधि के लिये विस्तार भी दिया जा सकता था।

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के अनुसार शुरु होने वाली परियोजना के प्रत्येक अवसर पर एन आई एस जी को वार्षिक कार्य योजना व कार्य क्षेत्र तैयार करना था व डी ई आई टी वाई से अनुमोदन प्राप्त करना था जबकि समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार एन आई एस सी द्वारा प्रस्तुत संशोधित व अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (आगे के अवसर के लिये) का मुल्यांकन व पहल की प्रगति की निगरानी, समझौता ज्ञापन के अनुसार डी ई आई टी वाई को करनी थी। अनुदान की संस्वीकृति के लिये निबन्धन एवं शर्तों में दिया गया कि अनुदान का कोई भी अप्रयुक्त भाग अनुदाता को अभ्यर्पित करना होगा।

जी एफ आर के नियम 209 (6) (ix) के प्रावधान के अनुपालन में, एन आई एस जी ने एक बॉन्ड दिसम्बर 2008 में निष्पादित किया था जिसके द्वारा एन आई एस जी अनुदान की संस्वीकृति के पत्र में उल्लिखित निबन्धनों एवं शर्तों को पूरा करने व अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में सरकार को सारी राशि का भुगतान करने के लिये सहमत था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एन आई एस जी ने कथित परियोजना पर न तो कोई काम शुरू किया था और न ही जैसा कि समझौता ज्ञापन में वर्णित था, कोई कार्य योजना/कार्य-क्षेत्र तैयार किया। इस प्रकार अनुदान की सारी राशि अप्रयुक्त रही। डी ई आई टी वाई ने इस अनिवार्य खंड पर कोई जोर नहीं दिया और निधि दिये जाने के बाद परियोजना शुरू होने पर निगरानी करने में विफल रहा।

एन आई एस जी को अग्रिम में दिये गये ₹ 10.50 करोड़ में से डी ई आई टी वाई ने (सितम्बर 2012) अन्य विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना "भारत ई-डिलीवरी जन सेवा"[2] के लिये ₹ 3.36 करोड़ का विपथन किया जिसे फिर से एन आई एस जी द्वारा निष्पादन किया जाना था तथा ₹ 6.36 करोड़ एन आई एस जी ने मार्च 2014 में अनुदान जारी होने की तिथि से पांच वर्षो से ज्यादा समय के बाद डी ई आई टी वाई को वापस कर दिया था बाकी अप्रयुक्त राशि ₹ 0.78 करोड़ एन आई एस जी के पास रही। डी ई आई टी वाई ने एन आई एस जी से अप्रयुक्त अनुदान पर 31 जनवरी 2016 (vuyXud-**VII**) तक ब्याज की राशि ₹ 7.77 करोड़ वसूल नहीं की थी।

डी ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि अव्ययित शेष व उस पर ब्याज की वापसी का मामला एन आई एस जी के साथ उठाया गया था। यह भी बताया गया था कि ब्याज-राशि की वसूली के लिये सुसंगत प्रयास/अनुवर्तन किया जा रहा था।

इस प्रकार मंत्रालय, परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहा और पूर्व अनुदान की राशि की वापसी के लिए जोर दिये बगैर अप्रयुक्त अनुदान का अंश, अनियमित रूप से दूसरी परियोजना के लिए विपथित कर दिया और अनुदान की मंजूरी के लिए निबन्धन एंव शर्तों को लागू नहीं

[2] यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अप्रयुक्त भाग का अंश "भारत ई–डिलीवरी जन सेवा" परियोजना के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन यूनिट की स्थापना के उद्देश्य से, दूसरे कार्य में लगा दिया जो सितम्बर 2014 तक पूर्ण की जानी थी परन्तु मार्च 2016 तक अधूरी रही ।

किया। चूंकि परियोजना शुरू नहीं की गयी, इससे न केवल निधि का परिहार्य अवरोधन हुआ बल्कि परियोजना का अभिप्रेत प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ। आगे, मंत्रालय द्वारा एन आई एस जी से अप्रयुक्त अनुदान और उस पर ब्याज की वापसी के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2016 तक ₹ 8.55 करोड़ की गैर–वसूली हुई।

मामला मार्च 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था जिस पर मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2016)।

4.3 ikLV xstq,V bLVhV;V vkQ efMdy ,tdk'ku ,o fjlp (ih th vkb ,e b vkj) p.Mhx< d dEI;Vjhdj.k d fy, vfoodh ckyh vkj lfonk

lh-Mid uk;Mk d vfoodh ckyh vkj lfonk d dkj.k "ih th vkb ,e b vkj p.Mhx< d dEI;Vjhdj.k" ifj;ktuk d fofHkUu Lrjk ij fØ;kUo;u e njh gbZ ftlds fy, ih th vkb ,e b vkj u ₹ **4.28** djkM dk Hkxrku jkdkA blds vykok lh&Mid uk;Mk u dk;Z dh ek=k d lefpr vkdyu d fcuk byfDVªd dfcfyx dk;Z grq ckyh e ₹ **24.20** yk[k dh ,d e'r jkf'k mn?kr dhA blds ifj.kkeLo:Ik ₹ **3.18** djkM d dy fd;s x;s dk;Z d fo:} ih th vkb ,e b vkj u ₹ **24.20** yk[k d nkos Lohdkj fd;s ftlls ₹ **2.94** djkM dh fuf/k dk vojk/ku gqvkA

सेन्टर फार एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक वैज्ञानिक सोसाइटी ने टर्नकी आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (पी जी आई एम ई आर), चण्डीगढ़ (मार्च 2007) के साथ "पी जी आई एम ई आर के कम्प्यूटरीकण" की ₹ 21.70 करोड़ मूल्य की परियोजना पर सर्विस लेवल करार (एस एल ए) किया जिसे समझौते के हस्ताक्षर की तारीख से 24 माहों के अन्दर तीन चरणों में निष्पादित करना था। परियोजना माह अप्रैल 2007 में प्रारम्भ की गयी तथा प्राथमिक रूप में इसमें पी जी आई एम ई आर में हास्पिटल इन्फोरमेशन सिस्टम (एच आई एस) के क्रियान्वयन को सम्मिलित किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(I) फेज़ I के सभी 19 कार्य, 6 दिन से 89 माह के विलम्ब से पूरे किये गये थे। दूसरे एवं तीसरे चरण में, प्रत्येक चरण में चार में से केवल दो कार्य पूर्ण किये गये थे और वह भी 19 से 35 माह के विलम्ब से। आगे यह भी देखा गया कि परियोजना के विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने/पूर्ण न होने में विलम्ब मुख्यतौर पर सी-डैक एवं पी जी आई एम ई आर के मध्य समन्वय की कमी के कारण था, जिसका निम्नलिखित परिणाम हुआ:

(अ) कार्यान्वयन से पूर्व साइट/डिजाइन/लेआउट को अन्तिम रूप न दिये जाने और विभिन्न उपकरणों के स्थान एवं लेआउट में बारम्बार परिवर्तन के कारण साइट की तैयारी में विलम्ब हुआ और उसी क्रम में सिविल, इलेक्ट्रिक कार्य आदि में भी विलम्ब हुआ।

(ब) प्रणाली के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों पर समय पर सहमति नहीं होने की परिणति उनके देरी से आपूर्ति एवं स्थापना के रूप में हुई।

(स) हास्पिटल इंफोरमेसन सिस्टम के विभिन्न माडयूल्स के परीक्षण संचालन के दौरान अन्तिम उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण और पर्यावरण आदि से सम्बन्धित प्रचालन के मुद्दे सुलझाये नहीं जा सके।

अप्रैल 2008 और अगस्त 2015 की अवधि के मध्य, सी-डैक ने ₹ 12.16 करोड़ के 54 बिल जारी किये किन्तु विभिन्न कार्यों के पूरा न होने/विलम्ब से होने के कारण, पी जी आई एम ई आर ने ₹ 4.28 करोड़ रोकते हुए केवल ₹ 7.88 करोड़ का भुगतान किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2016) में बताया कि निम्नलिखित के कारण कार्य, माड्यूल और अंततः परियोजना के सारे चरणों में बदलाव हुआ:

(i) सी-डैक ने परियोजना में विलम्ब नहीं किया। जो कुछ विलम्ब हुआ वह पी जी आई एम ई आर के कारण हुआ।

(ii) पी जी आई एम ई आर ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकारों के पक्ष में साख पत्र खोलने में अनुचित विलम्ब किया जिससे परियोजना का क्रियान्वयन लगभग डेढ वर्ष के लिए बढ गया। इसके बावजूद सी-डैक ने प्रथम चरण में वर्ष 2009-10 तक सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदकर उन्हें प्रतिष्ठापित कर लिया था और प्रणाली तभी से प्रचालन में थी। अन्तिम उपयोगकर्ता को इस प्रबन्धन प्रक्रिया परिवर्तन में कुछ समस्या थी और उनके अधिकांश उपयोगकर्ता विभिन्न विरासतीय कारणों से कम्प्यूटरीकृत प्रचालन में जाने के इच्छुक नहीं थे।

(iii) सी-डैक और पी जी आई एम ई आर के मध्य हस्ताक्षरित सर्विस लेविल करार एक पक्षीय था। जबकि यह सी-डैक के कार्य पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्दिष्ट करता है, इसमें परियोजना समय पर पूर्ण हो यह सुनिश्चित करने के लिए पी जी आई एम ई आर, सी-डैक को सहयोग करे, ऐसी कोई बाध्यता शामिल नहीं थी ।

पूर्व में सी-डैक नोयडा ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में परियोजना के पूरा होने में देरी के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों को जिम्मेदार बताया:

(अ) पी जी आई एम ई आर द्वारा साइट को समय पर खाली नहीं कराया गया तथा सिविल और इलेक्ट्रिक डिजाइन के अनुमोदन में इसका अपना समय लग गया।

(ब) निविदा वर्ष 2006 में प्रकाशित की गयी और वर्ष 2007 में पूरी हुई। इस समय अन्तराल के परिणामस्वरूप तकनीकी परिवर्तन हुए तथा इसके फलस्वरूप हार्डवेयर की विशिष्टियों एवं माड्यूल्स में परिवर्तन हुए। संशोधित तकनीकी विशिष्टियों के अनुमोदन में भी पी जी आई एम ई आर द्वारा विलम्ब किया गया।

(स) सभी प्रशिक्षण एवं प्राथमिक परीक्षण होते हुए भी अन्तिम उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन के लिए कहा गया।

निम्नलिखित कारणों से सी-डैक/मंत्रालय द्वारा दिये गये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- समझौते की शर्तों का पालन करना और परियोजना को निर्धारित समय अवधि में सुपुर्द करना सी-डैक का प्राथमिक उत्तरदायित्व था। निविदा प्रपत्रों के क्लाज 7.13.15 (सेक्शन III: अनुबन्ध की सामान्य शर्तें) के अनुसार सी-डैक को साइट एवं इसके आस-पास का ज्ञान होना चाहिए था तथा भौतिक एवं जलवायु स्थितियों, कार्य की मात्रा एवं प्रकृति, खतरे, करार के तहत बाध्यताएं एवं दायित्वों को प्रभावित करने वाली आकस्मिकताएं एव परिस्थितियां तथा इसके निष्पादन करने की इसकी क्षमता के बारे में स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए था। यह भी आवश्यक था कि भौतिक स्थिति और/या कार्य को प्रभावित करने वाली बाधाएं जो स्थापना पूर्व सर्वे/सुपुर्दगी अथवा स्थापना के समय पता चली, पर नियंत्रण करने के सारे उपाय किये जाते।

- निविदा प्रपत्रों (सेक्शन II: मुख्य बोलीदाता के लिए निर्देश) के क्लाज 26 में विशेष रूप से प्रावधान है कि क्रेता द्वारा मात्राएं, विशिष्टियाँ, सेवा या निविदा के क्षेत्र के अन्तर्गत परिवर्तन किये जाने के कारण लागत या कार्य के किसी भाग के लिए मुख्य बोलीदाता की परफारमेंस के लिए अपेक्षित समय में वृद्वि अथवा कमी की परिस्थिति में दोनों दलों द्वारा आपसी सहमति से संविदा के मूल्य या डिलीवरी शैडयूल या दोनों में न्यायसंगत व्यवस्था बनायी जायेगी। तथापि, मुख्य बोलीदाता द्वारा समायोजन के लिए कोई दावा इस क्लाज के अधीन क्रेता के परिवर्तन संबधी आदेश की तिथि के 30 दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, जब पी जी आई एम ई आर ने उपर्युक्त बताये गये आधार पर परियोजना के निष्पादन में विलम्ब किया तो सी-डैक द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने हेतु समय में विस्तार के लिए अनुरोध नहीं किया।
- परियोजना की बाद की अवस्थाओं में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सी-डैक को सर्विस लेविल करार करने से पूर्व निविदा प्रपत्रों के नियम एवं शर्तों की जांच करनी चाहिए थी ।

किसी भी स्थिति में 89 महीनों का विलम्ब न्यायसंगत नहीं है और कार्य प्रारम्भ करने से आठ वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी परियोजना अधूरी है जो कि परियोजना की अकुशल एवं गैर–समुचित प्रबन्धन को दर्शाता है जिसके लिए पी जी आई एम ई आर, चण्डीगढ ने किये गये कार्य के ₹ 4.28 करोड़ के भुगतान को रोक लिया।

(II) निविदा प्रपत्रों (सेक्शन II: मुख्य बोलीदाता के लिए निर्देश) के क्लाज 8 एवं 9 में स्पष्ट रूप में निर्धारित है कि उदघृत कीमतें निश्चित एवं अंतिम होनी चाहिए और निविदा की सम्पूर्ण अवधि में स्थिर हों तथा जो भी हो ऊपर की ओर कोई संशोधित नहीं होंगी। यूनिट दरें दर्शायी जानी अपेक्षित थी एवं उदघृत कीमतों में सभी सम्मिलित रहेगा। निविदा प्रपत्रों के सेक्शन डी के तहत, इलेक्ट्रिक प्वाइंट्स की विशिष्टियों का उल्लेख था और यह बताया गया था कि “कापर वायर एवं पी वी सी बैटन की यूनिट दर उदघृत होगी”।

सी-डैक नोयडा, फेस I के टास्क 5 (केन्द्रीकृत निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यू पी एस) स्वदेशी घटक-इलेक्ट्रिक केबिलिंग की स्थापना) के विरूद्व दर उदघृत करते समय बिना समुचित रूप से निष्पादित किये जाने वाली मात्रा का मूल्यांकन किये, उपयोग की जाने वाली वास्तविक मात्रा की यूनिट वाइज दर के बजाय एकमुश्त मात्रा के लिए ₹ 24.20 लाख (₹ 22 लाख और ₹ 2.20 लाख कर के मद में) उदघृत कर दिये। यहां तक कि सर्विस लेविल करार के समय भी सी-डैक इलेक्ट्रिक केबिलिंग के लिए एकमुश्त राशि के लिए तैयार हो गया। सी–डैक ने एक मुश्त दरें उदघृत करते समय 10,000 मीटर केबिलिंग को ध्यान में रखा। कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान 1.29 लाख मीटर केबिल उपयोग में लायी गयी जिसके लिए सी-डैक ने कार्य के लिए ₹ 3.18 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया। तथापि, पी जी आई एम ई आर ने इस कार्य के विरूद्व केवल ₹ 24.20 लाख का दावा स्वीकार किया और बाकी ₹ 2.94 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया।

यह इंगित करने पर (मार्च 2016), मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2016) में कहा कि पी जी आई एम ई आर द्वारा उदघृत दरों के लिए विशिष्ट फार्मेट दिया था और यू पी एस केबिलिंग की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सी-डैक ने 10,000 मीटर की यू पी एस केबिलिंग के लिए एकमुश्त दरें उदघृत की। यह एक स्पष्ट समझौता था कि निविदा प्रपत्रों में उदघृत केबिल की मात्रा और दरें आवश्यकतानुसार थी

क्योंकि पी जी आई एम ई आर वास्तविक आधार पर कार्य आदेश देगा। यह बिल्कुल आशंका नहीं थी कि पी जी आई एम ई आर ऐसे छोटे मामलों पर अड़ेगा। तथापि, जैसे ही इसका अहसास हुआ, मामला पी जी आई एम ई आर के साथ उठाया गया (सितम्बर 2009) और यू पी एस केबिलिंग के लिए यूनिट दरें सूचित की गयी। अब पी जी आई एम ई आर ने वास्तविक आधार पर भुगतान पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

उत्तर, यू पी एस केबिलिंग के लिए एकमुश्त दर उदघृत करते समय वास्तविक मात्रा के मूल्यांकन, कार्य की लागत एंव प्रचालनात्मक कठिनाइयों के निर्धारण में सी–डैक की विफलता को उचित नहीं ठहराता है। इसके परिणामस्वरूप पी जी आई एम ई आर ने यू पी एस केबिलिंग कार्य के सम्बन्ध में ₹ 2.94 करोड़ अस्वीकृत कर दिये।

इस प्रकार, सी-डैक नोयडा के अविवेकी बोली एवं संविदा और यूपीएस केबिलिंग कार्य के लिए एकमुश्त बोली के अविवेकपूर्ण प्रस्ताव के कारण ₹ 7.22 करोड़ (₹ 4.28 करोड़ कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एवं ₹ 2.94 करोड़ यू पी एस केबिलिंग पर) के धन का अवरोधन हुआ।

4.4 ehfM;k ySc ,f'k;k dk ctV h; lgk;rk dh vfu;fer fujUrjrk

> foŸk e=ky; ds LkkFk-LkkFk ;¨tuk e=ky; dh foijhr fVIi.kh ds ckotwn, fMikVZeaV vkQ byDVªkfuDl ,.M bUQkjes'ku VsDukykth **(**Mh bZ vkbZ Vh okbZ**)** us ehfM;k ySc ,f'k;k **(**,e ,y ,**)** ds vizSy **2012** esa lekIr gksus okys uks o"khZ; fctusl lyku ds fy, dSfcusV ds vuqeksnu dh vof/k dh lekfIr ds mijkUr o"kZ **2013-14** ds nkSjku ,e ,y , dks **₹ 15.74** djksM+ dh lgk;rk vuqnku tkjh dhA

मीडिया लैब एशिया (एम एल ए), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अलाभकारी कंपनी के तौर पर दिनांक 20 सितंबर 2001 को निगमित हुई थी। मीडिया लैब एशिया भारत सरकार और मेसाचुसेट्स इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलॉजी (एम आई टी), यू एस ए के मध्य एक सहयोग था। इस सहयोग का लक्ष्य सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोगी सूचना एवं संचार तकनीक (आई सी टी) अनुसंधान का संचालन, ग्रामों में अनुसंधान परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा गरीबो की सेवा में उभरती तकनीक लाने में भारत को प्रधान प्रवर्तक बनाना था।

मीडियां लैब एशिया को दो चरणो में विस्तार करने की कल्पना की गयी थी: आरम्भिक चरण के लिए एक वर्ष तथा उसके उपरान्त नौ वर्ष के लिए पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम। वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान मीडिया लैब एशिया ने सहायता अनुदान के रूप में ₹ 124.29 करोड़[3] की धनराशि प्राप्त की थी। मीडिया लैब एशिया और एम आई टी ने दिनांक 21 सिंतबर 2001 को अनुसंधान एवं सहयोग अनुबंध (आर सी ए) पर हस्ताक्षर किए। यह सहमति बनी कि मीडिया लैब एशिया एक वर्ष के अन्वेषी चरण के दौरान एम आई टी द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यय के लिए यू एस $ 1.7 मीलियन (शुद्ध करों रहित) का भुगतान करेगी। आर सी ए की अवधि मार्च 2003 में समाप्त हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) ने मीडिया लैब एशिया की नई संरचना एवं व्यापार योजना के अनुमोदन, ₹ 262 करोड़ की दसवीं योजना परिव्यय (जिसमें से सरकार का

[3] इसमें इलेक्ट्रानिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान वाराणसी सूचना एवं संचार तकनीक (आई सी टी) आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (₹ 0.39 करोड़) तथा मानको के बारे में जागरूकता एवं संचार अभियान (₹ 0.08 करोड़) के लिए जारी ₹ 0.47 करोड़ शामिल नही हैं।

योगदान ₹ 227 करोड़ था) के साथ दिनांक 1 मई 2003 से नौ वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ तथा सरकार और अनुसंधान एवं विकास संस्थानो से प्राप्त धनराशि के अनुरूप मीडिया लैब एशिया के संगठनात्मक ढांचे को निर्धारित करने के लिए संचालन समिति के गठन हेतु, कैबिनेट टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रस्तुत संशोधित कैबिनेट टिप्पणी पर कैबिनेट ने अपना अनुमोदन (जुलाई 2003) प्रदान किया। मीडिया लैब एशिया की नई संरचना एवं व्यापार योजना में परिकल्पित किया गया

- आई पी आर उत्पादन तथा परिणामी वैयक्तिक समर्थन संबंध पर आधारित परियोजना पर केंद्रित अभिविन्यास कार्यक्रम;
- सभी सामयिक इन-हाउस परियोजनाओं को इन पर कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं सहित उचित आई आई टी को स्थानान्तरित किया जाना है तथा कंपनी द्वारा निधि प्रदान करना जारी रहना;
- व्यापार योजना अधिकांश लोगों के लिए लाभदायक "अर्ली हारवेस्ट" परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी तथा एम एल ए नवीन उभरते अन्तर-अनुशासनिक क्षेत्रों जैसे बायोटेक्नोलॉजी एवं बायो-इनफॉरमैटिक्स के साथ-साथ नैनो-टेक्नोलॉजी एवं नैनो-इनफॉरमैटिक्स में अनुसंधान में सक्रिय योगदान देगी।

तथापि, दो विशिष्ट स्वतंत्र परियोजनाऐं जैसे नेशनल ई-गवर्नेस डिवीजन (एन ई जी डी) और आई टी रिसर्ज एकेडमी (आई टी आर ए) क्रमशः दिसंबर 2009 एवं नवंबर 2010 में मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) मंत्रालय के अनुमोदन पर एम एल ए को सौपा गया।

केंद्रीय मंत्रीमण्डल (कैबिनेट) ने ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अनुमोदित (मई 2006) किया। एक प्राथमिक दर्शन के साथ "सरल, नैतिक, उत्तरदायी, जवाबदेय एवं पारदर्शी" (स्मार्ट) शासन लाने के लिए सामान्य सेवा वितरक निर्गम के माध्यम से आम आदमी को उसके निकटतम क्षेत्र में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी मूलभूत आवश्कताओं को पूर्ण करने के लिए वहनीय कीमत पर इन सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एम एल ए के अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एन ई जी डी) की स्थापना डी ई आई टी वाई को प्रदत्त नेशनल ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (एन ई जी पी) से संबंधित मुख्य भूमिकाओं/कार्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। परियोजना पर कुल परिव्यय ₹ 41.49 करोड़ था एवं प्रथम अवमुक्ति (2009-10) की तिथि से तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाना था। एम एल ए के वार्षिक लेखों में देखा गया कि इस परियोजना के लिए 2014-15 तक एम एल ए को ₹ 290.67 करोड़ की धनराशि जारी की गयी थी।

आई टी रिसर्च एकेडमी (आई टी आर ए) इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग (डी ई आई टी वाई) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सूचना तकनीक आधारित समस्या समाधान एवं उच्चवर्गीय विकास की शैक्षणिक संस्कृति को मजबूत करते हुए सूचना एवं संचार तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई टी) एवं तेजी से बढ़ती संख्या में शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्त्रोत का निर्माण करना है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 148.83 करोड़ थी एवं प्रथम अवमुक्ति (2010-11) की तिथि से पांच वर्षो की अवधि के लिए क्रियान्वित/लागू की जानी थी। इस परियोजना के लिए ₹ 38.60 करोड़ की धनराशि एम एल ए को 2014-15 तक अवमुक्त की गई।

इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- चूँकि उपरोक्त परियोजनाएं, उन उद्देश्यों जिसके लिए एम एल ए गठित किया गया था, के लिये अनुरूप नही थी, इन परियोजनाओ को एम एल ए को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप परियोजनाओ के क्रियान्वयन के लिए नियमित निधि प्रवाह को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त गतिविधियां अलग-अलग दिशाओ में हो गयी;
- यद्यपि व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) ने नेशनल ई-गवर्नेस डिवीजन (एन ई जी डी) की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीटयूट आफ स्मार्ट गवर्नेस (एन आई एस जी) को सौंपने की अनुशंसा की थी, फिर भी इसकी जिम्मेदारी एम एल ए को दे दी गई।
- आई टी रिसर्च एकेडमी (आई टी आर ए) का उत्तरदायित्व एम एल ए को देने से पूर्व विकल्पो पर विचार नहीं किया गया।
- आई टी आर ए को एम एल ए को सौंपे जाने के डी ई आई टी वाई के प्रस्ताव पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने कहा था (मई 2010) कि परियोजना का क्रियान्वयन एम एल ए हेतु अंब्रेला स्कीम के लिए योजना के अंतर्गत किया जाएगा तथा इस नई पहल के लिए अतिरिक्त निधि का आवंटन सम्भव नही हो सकेगा। इसके बावजूद, डी ई आई टी वाई ने 2014-15 तक एम एल ए को ₹ 38.60 करोड़ की धनराशि जारी की थी।
- 31 मार्च 2015 को ₹ 196.42 करोड़ की अनुदान राशि कम्पनी के पास अनुपयोगी पड़ी थी जिसमें से ₹ 172.64 करोड़ को तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए जमा में रखा गया। यह दर्शाता है कि अनुदान का जारी होना उसके उपयोग से सम्बन्धित नही था किन्तु अनुदानों का संवितरण सामान्य रूप से किया गया जिसके परिणामस्वरूप, अनुदान की बड़ी धनराशि कंपनी के पास अवरूद्व रही।
- नौ वर्ष की अवधि जिसके लिए कैबिनेट ने एम एल ए के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की थी, वह दिनांक 30 अप्रैल 2012 को समाप्त हो गई। दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक और 10 वर्षों के लिए एम एल ए को सरकारी बजटीय सहायता को जारी रखने के लिए प्रारूप कैबिनेट टिप्पणी, योजना आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को परिचालित की गई।

वित्त मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में अवलोकित किया (दिसंबर 2012) कि

- एम एल ए द्वारा ली गई परियोजनाओं के परिणाम मूल्यांकन ने दर्शाया कि या तो परियोजनाओं का क्षेत्र अधिकतर स्थानीय है या उनका सीमित प्रभाव होगा;
- एम एल ए को सलाहकार अथवा प्रबंधक की भूमिका निभानी चाहिए तथा उत्पादों के विकास में शामिल नही होना चाहिए;
- आई टी आर ए एवं एन ई जी डी जिसकी स्थापना ग्यारहवीं योजना के अन्त में हुई, एम एल ए को सौंपने से एम एल ए जिसका निर्माण दस वर्षों के लिये था, का जीवन कृत्रिम रूप से बढ़ गया। इसके अलावा अनुशंसा की गई कि यह व्यवस्था अधिक समय के लिए नहीं होना

चाहिए तथा आई टी आर ए और एन ई जी डी को तुरन्त एम एल ए के अधिकार क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए।

- एक दशक से अस्तित्व में होने के बावजूद एम एल ए ने अति सीमित परिणाम प्राप्त किए। यह समय के साथ सूचना तकनीकी विभाग (डी आई टी) के संबद्ध कार्यालय के रूप में मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करने वाली तथा परामर्शदाता एवं सलाहकार का स्रोत बन चुकी है। कुछ अल्प प्रतिशत के अतिरिक्त यह आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोत (आई ई बी आर) उत्पन्न करने में लगातार असफल रही है एवं इस अध्याय को समाप्त करने के लिए विकल्पों को ढूंढा जा सकता है।

योजना आयोग ने अपने टिप्पणी में कहा कि एम एल ए द्वारा चिन्हित् की गई एप्लिकेशन पहले से ही सी-डैक[4], टी डी आई एल[5] तथा डी ई आई टी वाई के अर्न्तगत अन्य प्रभागो द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी और इसलिए एम एल ए द्वारा लिए जाने वाले विशिष्ट परियोजना प्रस्तावो को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी संज्ञान में लिया गया कि नौ सालों से अस्तित्व में होने के बाद भी डी ई आई टी वाई, एम एल ए द्वारा आइ ई बी आर की उत्पति के संबंध में बहुत निराशावादी दृष्टिकोण अपनाये हुए था, क्योंकि कंपनी अगले दो वर्षो में समेकन चरण में रहेगी। इसने, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल के अन्त तक लक्ष्यो की तुलना में एम एल ए के निष्पादन की समीक्षा तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उपर्युक्त प्रेक्षणों के बावजूद भी वर्ष 2013-14 के दौरान डी ई आई टी वाई ने एम एल ए को ₹ 15.74 करोड़ की सहायता अनुदान प्रदान की।

एम एल ए ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि 30 अप्रैल 2012 के बाद की अवधि के लिए वित्तीय सहायता को विस्तार देने का निर्णय व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के अनुमोदन के आधार पर लिया गया ताकि चल रही परियोजना की गतिविधियों में व्यवधान नहीं आये एवं गतिविधियां रूके नहीं तथा विकट वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

निम्नलिखित कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- चूंकि कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2012 तक एम एल ए को पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यक्रम अनुमोदित किया था इस अवधि से परे एम एल ए को बजटीय सहायता का प्रस्ताव केवल केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए था।
- वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने एम एल ए को अनुमोदित अवधि के बाद बजटीय सहायता जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के ज्ञापन पर अपनी अभ्युक्ति में एम एल ए योजना पर पुनः दृष्टिपात करने की सलाह दी थी।

मामला अप्रैल 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2016)।

[4] सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग
[5] टेक्नोलाजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैग्यूएजेज

4.5 lkbcj vihyh; U;k;kf/kdj.k }kjk idj.kksa dh lquokbZ ,oa fuLrkj.k ds izkFkfed dk;Z dks u djuk

tqykbZ **2011** ls lkbcj vihyh; U;k;kf/kdj.k ds v/;{k dh fu;qfDr u gksuk lkFk gh U;k;kf/kdj.k ds lnL;ksa dks cqp ds xBu vkSj vihyksa ds fuLrkj.k grq 'kfDr iznku djus ds izko/kkuksa dh deh ds dkj.k blds xBu dk ewy mn~ns'; vlQy gqvk ftlds ifj.kkeLo:Ik vizSy **2011** ls ekpZ **2016** dh vof/k ds fy, ftlesa ekpZ **2016** rd dh vihy ds **66** ekeys yfEcr gksus ds ckotwn ,d Hkh idj.k dh lquokbZ ;k fuLrkj.k ugha gqvk, osru ,oa vU; LFkkiuk ij ₹ **27.64** djksM+ dk fu"Qy O;; gqvkA

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी वाई ए टी) एक सांविधिक संगठन है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के खण्ड 48 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया है। अधिनियिम के अंतर्गत यह नियंत्रक के आदेश या न्याय निर्णायक अधिकारी[6] के विरुद्ध एक अपीलीय प्राधिकरण है। 2006 में जब अधिकरण की स्थापना हुई थी तब इसे साईबर धोखेबाजी के निवारण हेतु एक विनिर्दिष्ट फोरम माना गया था। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यक्रम के निर्वाहन के लिये उतनी ही शक्तियां हैं जितनी सिविल प्रक्रिया कोड 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट के पास है। न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और उतने ही अन्य सदस्य शामिल हैं जितने कि केन्द्र सरकार कार्यालयीन गजट की अधिसूचना के तहत नियुक्त करे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चुनाव केन्द्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 जून 2011 को पिछले अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति के पश्चात जून 2016 तक कोई भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ और इसी कारण इस अवधि में कोई भी विधिक आदेश उच्चारित नहीं किया गया। तथापि, सदस्य[7] एवं अन्य स्टाफ तब से साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपनी सेवाएं जारी रखे हैं और अपीलों की सुनवाई और निस्तारण के इसके प्राथमिक कार्य को किये बिना 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए इसके स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ का व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सक्रिय विचार में है। आगे, मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए, यह हो सकता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यायाधिकरण के सदस्यों को बेंच के गठन एवं अपील के निपटान के लिए शक्तियाँ दे दी जाएँगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह तथ्य फिर भी बना है कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण पिछले पांच वर्षों से निष्क्रिय है और बेंच के गठन और निर्णय प्रदान करने के लिए अपीलों/केस की लिस्टिंग के अपने मुख्य कार्य को नहीं कर रहा है। मार्च 2016 तक, अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के

---

[6] सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 केन्द्र सरकार को निदेशक, भारत सरकार या राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारी के स्तर से निम्न न हो ऐसे किसी अधिकारी को, इसकी जाँच करने के लिए कि कहीं किसी व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी भी नियम, कानून, दिशा-निर्देशों या आदेश का उल्लंधन तो नहीं किया जिसके लिए वह मुआवजा देने या दंड का भागी हो, बतौर न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है।

[7] 1. न्यायमूर्ति एस के कृष्णनन, न्यायिक सदस्य : 21 दिसम्बर 2011 से 8 नवम्बर 2012
2. डा एस एस चाहर, न्यायिक सदस्य : 1 अप्रैल 2015 से आगे
3. डा आर एन सिंह, तकनीकी सदस्य : 2 नवम्बर 2012 से आगे

कारण अपील के 66 केस अभी तक लंबित थे। इस प्रकार, नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के कारण व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का कोई निवारण नहीं था।

इस प्रकार, मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण मूल उद्देश्य जिस हेतु साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन हुआ, असफल रहा और 2011-12 से 2015-16 की अवधि में इसके स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ के व्यय में भी फलित हुआ। इसके अतिरिक्त, देश में साईबर धोखेबाजी से पीड़ित लोगों के पास अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिये उच्च न्यायालयों, जो कि पहले से ही लंबित मुकदमों की वृहद् संख्या के बोझ से दबे हैं, में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा ।

4.6 lk¶Vos;j VsDuksykWth ikdZ vkQ bafM;k (,l Vh ih vkbZ) }kjk bUVjikbZt fjlkslZ lykfuax (bZ vkj ih) ifj;kstuk ij fu"Qy O;;

th ,Q vkj ds vfuok;Z iko/kkuksa dk mYya?ku djrs gq, ,l Vh ih vkbZ us Bsdsnkjksa dh vkj ls gbZ xyfr;ksa ds fy, ifjfu/kkfjr {kfrifrZ ds vkjksi.k ls NwV nh ftlls mUgsa ifj;kstuk dk le; ls iwjk djus dh mudh ck/;rk dks de dj fn;kA ifj;kstuk ds iwjk u gksus ds dkj.k ₹ **1.80** djksM+ dk iwjk [kpZ O;FkZ jgkA

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क आफ इण्डिया (एस टी पी आई) ने एस टी पी आई में आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरापृष्ठ के लिए ई–गवर्नेन्स प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए उद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) लागू करने का कार्य अगस्त 2005 में मैसर्स ओरेकल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (ओ आई पी एल) को सौंपा। ओ आई पी एल ने मैसर्स प्राइसवाटरहाऊस कूपर प्राइवेट लिमिटेड (पी डब्ल्यू सी) को अपने एक मात्र प्रतिनिधि के रुप में कार्य के निष्पादन के लिए नामित किया तथा पी डब्ल्यू सी के माध्यम से ओरेकल लाइसेंस एवं सेवाओं के लिए क्रय आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, 17 अगस्त 2005 को एस टी पी आई ने ओरेकल एप्लीकेशन्स 11i/टेक्नोलॉजी लाइसेंस डिलीवरी एवं कार्यान्वयन के लिए पी डब्ल्यू सी को ₹ 2.85 करोड़ का क्रय आदेश निर्गत किया जिसमें पी डब्ल्यू सी द्वारा कार्यान्वयन पश्चात् तीन वर्ष की सहायता सहित लाइसेंस के लिए ₹ 1.15 करोड़ एवं कार्यान्वयन की लागत के लिए ₹ 1.70 करोड़ शामिल था।

बाद में, एस टी पी आई और ओ आई पी एल के बीच (1 सितम्बर 2005) एवं एस टी पी आई और पी डब्ल्यू सी के बीच (19 सितम्बर 2005) एक समझौता किया गया जिसमें समझौते के तीन माह के भीतर ही कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि बतायी गयी।

फिर भी, चार वर्ष से ज्यादा के अन्तराल के बाद भी मुख्य आठ माड्यूल मे से केवल दो ही माडयूल पी डब्ल्यू सी द्वारा आंशिक रुप से पूर्ण किये गये। यहॉ तक कि, पी डब्ल्यू सी द्वारा समरुपित माड्यूल एस टी पी आई की जरूरत के अनुरुप कार्य नही कर पाये। इस बीच मार्च 2009 के अन्त तक परियोजना पर ₹ 1.80 करोड़ का खर्च किया गया जिसमें पी डब्लू सी को ₹ 1.34 करोड़ के भुगतान एवं हार्डवेयर की खरीद पर ₹ 0.46 करोड़ का खर्च भी शामिल था।

चूंकि परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई आगामी प्रगति नही देखी गयी अगस्त 2010 मे परियोजना को खत्म करने तथा एस टी पी आई द्वारा परियोजना में उठायी गयी हानि/नुकसान की वसूली का निर्णय लिया गया। अप्रैल 2012 में पी डब्ल्यू सी के विरुद्व विवाचन कार्यवाही शुरु की गयी

जो कि (जनवरी 2016) तक प्रगति पर थी। आगे, विधि परामर्शदाता की सलाह पर एस टी पी आई ने ओ आई पी एल के खिलाफ सितम्बर/अक्टूबर 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट मे एक रिट् याचिका दायर की।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि संविदा के सामान्य सिद्धान्त जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 204 (xvi) में प्रावधानित है, के अनुसार सभी संविदाओं मे ठेकेदारों द्वारा किये गये चूक के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रावधान होना चाहिए। तथापि, उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत ओ आई पी एल एवं पी डब्ल्यू सी के साथ हुए करार में विशेष रुप से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट की उपवाक्य (क्लाजेज) रखी गयी जिससे उन्हे, संविदा को समय से पूर्ण करने तथा संविदा की शर्तों को लागू करने के दायित्व से राहत मिली।

इनको इंगित करने पर (दिसम्बर 2015/अप्रैल 2016), एस टी पी आई/मंत्रालय ने जवाब दिया (जनवरी 2016/जून 2016) कि

- चूंकि यह योजना भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना थी, यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना की समाप्ति की देरी पर किसी भी दण्ड क्लाज को शामिल नहीं किया जाएगा। संविदा तथा समझौता इस प्रकार तैयार किये गये थे कि बिना किसी डर के कार्य को पूर्ण करने मे सहूलियत हो। विश्वभर मे ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वित सफलता दर की कमी को देखते हुए भारत में ऐसी परियोजनाओं को सफल रुप से कार्यान्वित करने का पूर्वानुमान उस समय नही लगाया जा सकता था ।
- परियोजना को शुरु करने के लिए प्रारम्भिक स्तर पर खर्च की कुछ राशि आधारिक संरचना के लिए जरुरी थी।
- कथित पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, नुकसान/क्षतियों के दावे करते हुए पक्षकारों को वैधानिक चेतावनी भी दी गयी। एस टी पी आई ने पी डब्ल्यू सी के खिलाफ विवाचन कार्यवाही शुरु की जिसमें ₹ 30 करोड़ का दावा किया गया। विवाचन क्लाज के अभाव में एस टी पी आई ने दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट में ओ आई पी एल के खिलाफ रिट याचिका भी दायर की, हालांकि मुआवजे की मात्रा न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगी।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि परियोजना ने साफतौर पर कार्य पूर्ति को परिभाषित किया था और ठेकेदारों द्वारा हुई गलतियों के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट, जी एफ आर के अन्तर्गत दिये गये संविदा के सामान्य सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन था। इस छूट से ठेकेदार अपने सांविधिक दायित्वों से भी मुक्त हो गया।

अत:, जी एफ आर के अनिवार्य प्रावधानों के घोर उल्लंघन में एस टी पी आई ने ठेकेदारों द्वारा किये गये चूक के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के आरोपण से छूट दी जिससे उन्हे परियोजना को समय से पूरा करने की उनकी बाध्यता को कम कर दिया। परिणामस्वरुप, एस टी पी आई ठेकेदारों पर कोई भी दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने मे असफल रही जिस कारण परियोजना पर ₹ 1.80 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया।